

फर्द अहकाम

मनीषा देवी vs बनाम - पंचमल कोर


नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी


केस संख्या

विराटनगर (जयपुर)

36/2018

प्राथमिक

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/2/19	<p>वकुलाप उक्त बहस प्राथमिक हुनी गयी। फतावली पर गौर किया गया। आपलोकन पर वीत हुआ कि प्रकाश के पूर्व से 11-6-2018 के अन्तरिम आस्थापी निवेदा द्वारा आपके पारित किये गये हैं। अतः दोनों पक्षों को ना कैसला प्रमाण आस्थापी निवेदा द्वारा से पारेंट किया जाता है कि वे अतिक्रम 73 एवं 75 के परिचय मा 0.06 80 की मोके व राजस्व रिकार्ड की पचासिपति बनाये रखे। फतावली फैलाप शुभार हुका - एक किरा दाया रहे नाम से का है। निर्णय हुले न्यायालय से सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>



लय	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

